प्रेस विज्ञप्ति
09-03-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड (एसजीजेएचआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध चल रही धन शोधन जांच के संबंध में दिनांक 16.02.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। उक्त पूरक शिकायत में कुल 15 नए आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें 5 प्राकृतिक व्यक्ति तथा 10 संस्थाएं शामिल हैं, जिनका कथित रूप से अपराध की आय के विपथन (डायवर्जन) एवं धन शोधन के लिए उपयोग किया गया। प्रत्युष कुमार सुरेका, जिन्हें पूर्व में दिनांक 16.01.2026 को पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, को भी इस पूरक अभियोजन शिकायत में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

यह मामला सीबीआई, बीएस एंड एफसी, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 25 बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) से संबंधित लगभग ₹2,672 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। जांच से यह उजागर हुआ कि एसजीजेएचआईएल तथा इसके प्रवर्तकों ने कथित रूप से झूठे वित्तीय विवरणों और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए निर्यात बिलों के आधार पर ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं तथा उन्हें बढ़ाया तथा इसके पश्चात ऋण की राशि को देशीय तथा विदेशी संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से विपथित (डायवर्ट) एवं गबन (साइफन ऑफ) किया गया।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से यह स्थापित हुआ कि ज्वेलरी व्यवसाय के लिए मंजूर बैंक ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा मेसर्स एलेक्स एस्ट्रल पावर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजना में विपथित (डायवर्ट) किया गया। एसजीजेएचआईएल ने इस परियोजना में ₹120 करोड़ की इक्विटी पांच माध्यमिक संस्थाओं के माध्यम से डाली, जिनकी कोई स्वतंत्र व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उक्त परियोजना ने ₹280 करोड़ का बैंक वित्त एसजीजेएचआईएल की कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर लिया, जिससे परियोजना में कुल निवेश लगभग ₹400 करोड़ हो गया।

आगे की जांच में यह भी उजागर हुआ कि सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसे दीर्घकालिक पावर खरीद समझौते द्वारा स्थिर आय सुनिश्चित की गई थी, को कथित रूप से छद्म और ₹20 करोड़ से भी कम अत्यंत कम मूल्यांकित लेनदेन के माध्यम से संबंधित पक्षों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। इस लेनदेन की संरचना में फर्जी कंपनियां, ट्रस्ट, जाली समझौते, राशि का घुमावदार परतन (लेयरिंग), तथा बैंक क्रेडिट सुविधाओं का विपथन (डायवर्जन) शामिल था, जिसे कथित रूप से अपराध की आय को गबन और छिपाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था।

जांच की निरंतरता में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांक 13.02.2026 को पीएमएलए की धारा 5(1) के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसके तहत लगभग ₹95.75 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया, जिनमें मेसर्स एलेक्स एस्ट्रल पावर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गुजरात में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र तथा कोलकाता, अलीपूर स्थित गोदरेज प्लेटिनम के तीन उच्च मूल्य के आवासीय फ्लैट्स शामिल हैं। पूर्व में, ईडी ने दिनांक 24.12.2021 को अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें सात आरोपियों को नामजद किया गया था तथा ₹193.11 करोड़ मूल्य के दो अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए थे।

आगे की जांच प्रगति पर है।